दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन

2635. **श्री नागमणि :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विगत वर्षों में कई व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर फ्लैटों का आवंटन किया है और यदि हां तो 1 जनवरी से 30 जून, 1997 तक की अवधि के दौरान आवंटित मकानों की श्रेणी और स्थानों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और ऐसे आवंटनों का आधार क्या है ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं जिनके द्वारा ऐसे आवंटन किए गए थे ;

(ग) इस अवधि के दौरान नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या कितनी है और इन आवेदनों को नामंजूर करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आवंटन के लिए अस्वीकृत आवेदन स्वीकृत आवेदनों से किस प्रकार भिन्न थे ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) (क) : और (ख) जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना-बारी आवंटन/प्राथमिकता वाले आवंटन भारत सरकार द्वारा बनाये गयी नीति दिशा निर्देशों के आधार पर शहरी कार्य और रोजगार मंत्री तथा दिल्ली के उपराज्यपाल की अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से किये जाते हैं। जनवरी, 1997 से 30 जून, 1997 की अवधि के दौरान अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कोई बिना बारी आवंटन नहीं किया गया है। अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के पश्चात ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लेटों का बिना बारी आधार पर आवंटन किया जाता है। अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के बाद डी डी ए द्वारा फ्लैटों का बिना-बारी आवंटन करना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, 1-1-97 से पूर्व अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित 1.1.97 से 30-6-97 की अवधि के दौरान दि० वि० प्राधिकरण द्वारा किये गये आवंटनों के ब्यौरे विवरण में है **(नीचे देखिए)**।

(ग) जनवरी, 1997 से 30 जून, 1997 की अवधि के दौरान कोई आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1-1-97 से 30-6-97 तक किये गये फ्लैटों के बिना-बारी ओहदार और जेबीदार आवंटन

	जनता	एस०आई० जी०	एम०आई० जी०	विस्तारजीव टाइप "ए"	विस्तारजीव टाइप "बी"	योग
1	2	3	4	5	6	7
विकास पुरी	7	—	—	—	—	7
जनकपुरी पश्चिमी	49	3	—	4	—	56
नीलमपुरा	2	—	—	—	—	2
रोहिणी	19	23	—	45	—	87
द्वारका	—	2	—	—	—	8

1	2	3	4	5	6	7
नंद नगरी	—	1	—	—	—	1
जसोला	—	11	—	—	—	11
नरेला	—	18	3	24	7	52
पूर्वी लोनी रोड	—	1	—	—	—	1
मयूर विहार	—	1	—	—	—	1
झिलमिल	—	1	3	—	—	1
विवेक विहार	—	—	2	—	—	2
द्वारका	—	—	15	80	10	85
विदापुर	—	—	—	6	1	7
योग :	77	61	23	139	18	318

2.00 P.M.

SHORT NOTICE QUESTION No I

THE DEPUTY CHAIRMAN There is a Short Notice Question regarding killing of Indian fishermen. Shri Peter Alphonse.

Killing of Indian Fishermen by Sri Lankan Navy

SHRI S. PETER ALPHONSE: †

SHRI V. P DURAISAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government of India are aware of the merciless killing of Indian fishermen by Sri Lankan Naval People;

(b) whether Sri Lankan Government have repeatedly violated their assurance given to Government of India that they would not kill Indian Fishermen; and

(c) what steps Government have taken so far to prevent such occurances in future?

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri S. Peter Alphonse

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI KAMLA SINHA): (a) Government are aware of and concerned by the reports of violence against Indian fishermen in the waters between India and Sri Lanka. The Government of Sri Lanka have denied the involvement of their Navy in a large majority of the incidents reported. Of the 18 incidents reported so far in 1997, the Sri Lankan Government have acknowledged the involvement of their forces in only 2 incidents. The Sri Lankan Government have observed that the LTTE is constantly looking out for opportunities for disrupting the good relations that exist between India and Sri Lanka.

(b) and (c) The problem of fishermen have been a regular subject of discussion between the two Governments. Both sides agree on the need to deal with these problems in a human and compassionate manner. The Sri Lankan Government have assured us that their forces are under instructions to exercise maximum restraint in dealing with Indian fishermen in Sri Lankan waters. The Sri Lanka Government have however, emphasised that a grave security situation exists in Sri Lankan waters surrounding the north